न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 83/2019

पप्पूलाल उर्फ नन्दकिशोर पुत्र प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासी सोनवां तहसील मांगरोल

.......वादी

♠ बनाम ♠

1. हेमराज पुत्र प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासी सोनवां तहसील मांगरोल
2. चोथमल पुत्र प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासी सोनवां तहसील मांगरोल
3. हंसराज पुत्र प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासी सोनवां तहसील मांगरोल
4. वीरबल पुत्र प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासी सोनवां तहसील मांगरोल
5. केशर बेवा प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासी सोनवां तहसील मांगरोल
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री बुद्धिप्रकाश मालव

दायरा दिनांक: 15.10.2019

निर्णय दिनांक : 02.10.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 268 खसरा नं0 96 रकबा 1.02 है0, खसरा नं0 98 रकबा 0.75 है0, खसरा नं0 143 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 240 रकबा 0.87 है0, खसरा नं0 253 रकबा 0.64 है0, खसरा नं0 326 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 374 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 400 रकबा 0.59 है0, खसरा नं0 413 रकबा 1.85 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 6.36 है0 वाके ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम पप्पूलाल पुत्र प्रभुलाल के स्थान पर नन्दकिशोर पुत्र प्रभुलाल दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम पप्पूलाल पुत्र प्रभुलाल है। जिसको वादी नन्दकिशोर पुत्र प्रभुलाल के स्थान पर पप्पूलाल पुत्र प्रभुलाल दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में पप्पूलाल पुत्र प्रभुलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में नन्दकिशोर पुत्र प्रभुलाल के स्थान पर पप्पूलाल पुत्र प्रभुलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम नन्दकिशोर पुत्र प्रभुलाल के स्थान पप्पूलाल पुत्र प्रभुलाल दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 15.10.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः– राजस्व/2021/860 दिनांक 01.10.2021 के जिसके अनुसार नन्दकिशोर पुत्र प्रभुलाल जाति गुर्जर को पप्पूलाल पुत्र प्रभुलाल जाति गुर्जर के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। दोनो नाम से उक्त व्यक्ति नन्दकिशोर पुत्र प्रभुलाल जाति गुर्जर व पप्पूलाल पुत्र प्रभुलाल जाति गुर्जर एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम नन्दकिशोर पुत्र प्रभुलाल जाति गुर्जर के स्थान पर पप्पूलाल पुत्र प्रभुलाल जाति गुर्जर सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं व बीरबल पुत्र प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासी सोनवां के आधार पर आराजी खाता संख्या 268 खसरा नं0 96 रकबा 1.02 है0, खसरा नं0 98 रकबा 0.75 है0, खसरा नं0 143 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 240 रकबा 0.87 है0, खसरा नं0 253 रकबा 0.64 है0, खसरा नं0 326 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 374 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 400 रकबा 0.59 है0, खसरा नं0 413 रकबा 1.85 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 6.36 है0 वाके ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम नन्दकिशोर पुत्र प्रभुलाल जाति गुर्जर के स्थान पर पप्पूलाल उर्फ नन्दकिशोर पुत्र प्रभुलाल जाति गुर्जर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प उदपुरिया मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner